

159

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक 17.8.15

संख्या-21 / बी.पी.एस.सी.(स्था.)-01 / 2014, सा.प्र. 11960 / भारत के संविधान के अनुच्छेद-318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा-शर्त) विनियमावली, 1960 के विनियम-16 के बाद निम्नलिखित नया विनियम- 16 के तुरत के प्रभाव से अन्तः स्थापित करते हैं :-

"16 क- बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के नियम-7 में विहित प्रावधानों के अनुरूप, "छुट्टी यात्रा रियायत" की सुविधा के हकदार होंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
19.8.2015
(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21 / बी.पी.एस.सी.(स्था.)-01 / 2014, सा.प्र. 11960 / पटना-15, दिनांक 17.8.15

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग, ई-गजट शाखा को (दो प्रतियों में) सी.डी. सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय

19.8.2015
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21 / बी.पी.एस.सी.(स्था.)-01 / 2014, सा.प्र. 11960 / पटना-15, दिनांक 17.8.15

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना / राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.2015
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21 / बी.पी.एस.सी.(स्था.)-01 / 2014, सा.प्र. 11960 / पटना-15, दिनांक 17.8.15

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

19.8.2015
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21 / बी.पी.एस.सी.-12 / 2011, सा.प्र. 11969 / पटना-15, दिनांक 17.8.15

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.8.2015
सरकार के अपर सचिव।